

भाग-2
(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7-परियोजना/स्कीम का स्थान	
(क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख) जिला	इलाहाबाद
(ग) वन प्रभाग	समाजिक वानिकी प्रभाग इलाहाबाद
(घ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में)	0.025 हेक्टेयर
(ङ) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(च) हरियाली का घनत्व	0.3
(छ) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बंध में एफ०ए०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	लागू नहीं है।
(ज) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	सामान्य
(झ) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित वन भूमि पर
(ञ) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है।(यदि हों क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं
(ट) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हों तो तत्सम्बंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(ठ) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हों तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2, में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य गया है(हों/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य पर ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	पौधों का रोपण व दस वर्षों तक अनुरक्षण कार्य सहित धनराशि रु० 7.524 लाख
क-प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक	अमोलवा-दुधरा-सिरसा मार्ग

भू-खण्ड का आकार	
ख- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
ग- रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	संलग्न है।
घ- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रु0 7.524 लाख
ड- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11-जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (ट, ठ) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12-विभाग/जिला प्रोफाइल	वन विभाग
क-जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5,28,900.00 हे0
ख-जिले का वन क्षेत्र	19661.398 हे0
ग-मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	1-199.79 हे0 (R.F.4 मामले) 2-25.855 हे0 (P.F.14 मामले)
घ-1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	297.27 हे0
1-दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	40.665 हे0
2-वनेतर भूमि पर	256.605 हे0
ड-अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	297.27 हे0
1-वन भूमि पर	40.665 हे0
2-वनेतर भूमि पर	256.605 हे0
13-प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 24.10.2016

स्थान:- इलाहाबाद

हस्ताक्षर
 प्रमोद कुमार खरे
 पदनाम - प्रभागीय निदेशक,
 सरकारी मोहर साखवाड़ प्रभाग,
 इलाहाबाद
 इलाहाबाद